कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 1769 ए लखनऊ/17653/2016, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 21 , 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषय : लखनऊ–सीतापुर मार्ग (NH-24) किमी0 70.600 से 55.100 तक ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु 0.6975 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–4523/14–10–4, दिनांक 16.02.2017,

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय अभिलेख संलग्न नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

2– शासनादेशानुसार 20 किमी0 लम्बाई में जमा धनराशि की पुष्टि के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, रायबरेली का कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है।

3– प्रस्तावित वनभूमि के स्वामित्व वाले विभाग (एन0एच0ए0आई0) की अनापत्ति संलग्न नहीं की गयी है।

4– मक डिस्पोजल योजना से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

5– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–5 की त्रुटिपूर्ण सूचना अंकित है।

6– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–3 पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में श्री रवीन्द्र कुमार, जे0टी0ओ0 का नाम अंकित है किन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों पर इससे भिन्न अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, जो विसंगतिपूर्ण है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
21-2-17
(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1769-ए / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

2– श्री रवीन्द्र कुमार, जे0टी0ओ0, इन्दिरानगर टेलीफोन एक्सचेंज, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।